# न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
## पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

**अपील संख्या 50/2022 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2022/57)**

पप्पु सिंह उर्फ ओमप्रकाश पुत्र श्री भंवर सिह जाति राजपुरोहित निवासी जोरावरपुरा तहसील रतनगढ जिला चूरू।

**अपीलान्ट**

**बनाम**

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये उप तहसीलदार राजलदेसर जिला चूरू।

**रेस्पोडेंट**

**उपस्थितः** 1.श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया – अभिभाषक अपीलान्ट
2.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

**निर्णय** **दिनांकः 21.02.2023**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर सुजानगढ जिला चूरू के निर्णय दिनांक 10.06.2022 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि हल्का पटवारी लाछड़सर ने नायब तहसीलदार राजलदेसर को एक रिपोर्ट पेश की कि ग्राम रोही लाछड़सर के खसरा न. 792 तादादी 28.6188 हैक्टेयर किस्म जमीन बा.च. भूमि मे से 7.1199 हैक्टेयर भूमि पर पप्पु सिह पुत्र भवर सिह ने अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज कर अपीलान्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। जवाब नोटिस में किसी प्रकार का साक्ष्य पेश नही करने पर उप तहसीलदार राजलदेसर ने अपने निर्णय दिनांक 07.07.2021 द्वारा अपीलान्ट को उक्त भूमि पर अतिक्रमी धोषित कर बेदखल करने एवं ग्राम लाछड़सर के शरह पड़ता लगान 0.20 रूपये का 50 गुणा 282–00 रूपये दण्ड स्वरूप कायम करने का आदेश दिया। उप तहसीलदार राजलदेसर के निर्णय दिनांक 07.07.2021 के विरूद्ध अपीलान्ट ने अति. जिला कलक्टर सुजानगढ में अपील पेश कर आदेश दिनांक 07.07.2021 को अपास्त करने का निवेदन किया। जिस पर अतिरिक्त जिला कलक्टर सुजानगढ द्वारा अपने निर्णय

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

दिनांक 10.06.2022 द्वारा उप तहसीलदार राजलदेसर का निर्णय दिनांक 07.07.2021 को विधिसम्मत मानते हुए अपील खारिज कर दी। अति. जिला कलक्टर सुजानगढ के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.06.2022 के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर दोनो अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त करने का निवेदन किया है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि उक्त भूमि खेत खसरा नं. 792 तादादी 28.6188 हैक्टर मे से 14.1639 हैक्टर रोही लाछडसर अपीलान्ट के पूर्वज नानु पुत्र अमरू राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व काश्त कर रहे थे, जिस पर वर्तमान मे अपीलान्ट काबिज है। जमाबंदी संवत 2012 से 2015, 2016 से 2019, तथा 2020 से 2023 मे अपीलान्ट के पूर्वज का नाम दर्ज है। विवादित आराजी सहदायकी सम्पति नही है। सैटलमेन्ट के दौरान जमाबंदी संवत 2023 से 2026 में उक्त आराजी के इन्द्राजात से अपीलान्ट के पूर्वज का नाम हटाकर मंदिर हनुमान जी का नाम अंकित कर दिया गया। जबकि विधिक प्रावधानो के अनुसार राजस्व कर्मचारियो व अधिकारियो का दायित्व था कि वे पूर्व इन्द्राजात की पुरावति करते। रिकार्ड में मूर्ति शब्द कही भी उपयोग में नही हुआ है एवं माफी को जागीर की श्रेणी मे जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 के अनुलग्न अनुसूचि के क्रम संख्या 15 पर माना गया है और इस अधिनियम के अव्यवस्क की भूमि अधिनियम के हित पुर्नग्रहित की जानी थी। इस प्रकार से मंदिर श्री हनुमान जी का भूमि पर कोई अधिकार नही रह जाता था। उक्त आराजी के संबध में एक दावा सं. 78/2020 अनुवानी मुरलीधर आदि बनाम मंदिर श्री हनुमान जी आदि धोषणात्मक व रिकार्ड दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र सं. 87/2020 तथा प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट उपखण्ड अधिकारी रतनगढ मे विचाराधीन है। जिसमे अपीलान्ट के अधिकार तय होने है। उप तहसीलदार को धारा 91 की कार्यवाही निजी खातेदार के विरूद्व करने का अधिकार नही है। धारा 91 की

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

कार्यवाही केवल सरकारी भूमि, चारागाह भूमि पर ही की जा सकती है। इस तथ्य पर दोनो अधीनस्थ न्यायालयो ने गौर नही किया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर दोनो अधीनस्थ न्यायालयो के आदेश निरस्त फरमाया जावे।

5. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय सही पारित किया गया है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन / अध्ययन किया। अपीलान्ट द्वारा इस अपील में उठाये गये बिन्दु प्रथम अपील में अधीनस्थ न्यायालय में उठाये जा चुके है "अपीलान्ट ने कथन किया कि धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 कार्यवाही के आदेश जारी करने का अधिकार उप तहसीलदार राजलदेसर को नही है। पत्रावली का अवलोकन किया बहस पर मनन किया। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत 2073–2076 ग्राम लाछडसर तहसील रतनगढ खसरा नं. 792 रकबा 28.6188 हैक्टयर मन्दिर श्री हनुमानजी के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। विधि के प्रावधानुसार मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिब है। मंदिर मूर्ति की भूमि के सरक्षण हेतु एवं अतिक्रमण होने पर कार्यवाही करने के संबध में राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, जयपुर के परिपत्र क्रमांक 3(1) राज–6 / 2007 पार्ट 15 दिनांक 12.09.2018 के बिन्दु सं. 5 व आदेश क्रमांक प. 3(2) राज–6 / 2007 पार्ट दिनांक 20.08.2020 के द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि मंदिर भूमि पर अतिक्रमी के विरूद्व स्थिति पुजारी या पटवारी द्वारा ध्यान मे लाये जाने पर तहसीलदार अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही इस प्रकार करेगे जेसे कि राजकीय भूमि पर अतिक्रमण के विरूद्व करते है। राजस्व नियमो, राज्य सरकार एवं जिला कलक्टर के आदेश के द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमण के विरूद्व कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार / नायब तहसीलदार अपने राजस्व क्षेत्र एवं क्षेत्राधिकार में अधिकृत है।" जिन पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सुजानगढ के द्वारा पूर्ण विवेचना

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

के पश्चात निर्णय पारित किया गया है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य कानूनी बिन्दु निहित नही होने से अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजाईश नही है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.06.2022 में किसी प्रकार की त्रुटि नही होने के कारण उसमे हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

7. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 21.02.2023 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

**(ए.एच.गौरी)**
**अति.संभागीय आयुक्त,**
**बीकानेर**